न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दवा नम्बर 90/2023 — दायर दिनांक–06.07.2023

1. श्यामलाल पुत्र हीराराम (मृतक)
   1/1 राजपाल पुत्र श्यामलाल
   1/2 पतासी देवी पत्नि श्यामलाल समस्त जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़
2. बलदेव पुत्र केशुराम
3. महेन्द्र पुत्र केशुराम
4. सुभाष पुत्र केशुराम समस्त जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादीगण

1. श्रवण पुत्र केशुराम
2. गीता देवी पत्नि श्रणव कुमार जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़
3. अब्दूल मजीद मदनी पुत्र भोमाजी खान जाति मिरासी मुस्लमान निवासी टोंकछिलरी हाल नवलगढ़ मदनी हाउस फतेहपुर रोड़ सीकर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. रतीराम पुत्र भानाराम जाति मेघवंशी निवासी टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़।

–प्रतिवादी

वकील वादी :– श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–04.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि घोषणा इस आश्य की फरमाई जावे की वादीगण नं0 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी नं0 1 भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 है0 स्थित ग्राम टोंकछिलरी तहसील नवलगढ के खातेदार काश्तकार है इस जमीन के मौजूदा खाता व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 5 का नाम हटाकर खसरा नम्बर 818 सरहद गांव टोंकछिलरी का खाता अकेले वादीगण नं0 1 लगायत 5 व प्रतिवादी नं0 1 के नाम से कायम किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 5 के भूमि खसरा नं0 815 स्थित सरहद ग्राम टोंकछिलरी का खाता प्रतिवादी नं0 5 अकेले के नाम से पूर्ववत कायम रखा जावे। तदानुसार रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं खाता कायमी के लिए तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु पतासी देवी, राजपाल, महेन्द्र, अब्दुल मजीद मदनी व कुंदन के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2018–21, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत् 20[illegible] प्रदर्श 3 [illegible] सम्वत 2065–67 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी [illegible] तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विवादग्रस्त [illegible] की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी [illegible] को तथा खसरा नम्बर 815 का प्रतिवादी संख्या 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:47 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

—:: आदेश ::—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को तथा खसरा नम्बर 815 का प्रतिवादी संख्या 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट—ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:47 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 90/2023 **(शंकरलाल बनाम श्रवण कुमार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 04.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 है0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को तथा खसरा नम्बर 815 का प्रतिवादी संख्या 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:47 IST
Reason: SelfAttested